



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

ई-मेल-dlao-giridih@nic.in

—: अधिसूचना :—

झरी मोड़ (NH-2 पर)-बनपुरा-चिचाकि-खुंटा-चौक-चिचाकि रेलवे स्टेशन तक पथ परियोजना अंतर्गत कुल 07 मौजा में अर्जित की जा रही भूमि के भू-अर्जन के लिए भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुरूप धारा-19(1) के अंतर्गत अधिघोषणा ससमय निर्गत नहीं किया जा सका है। कार्यपालक अभियंता, RCD, Giridih द्वारा अनुरोध किया गया है कि आम निर्वाचन-2019 में कार्यों के अधिकता एवं लॉकडाउन अवधि के कारण प्राक्कलित राशि उपलब्ध नहीं हो पाया है। तत्काल अधिघोषणा प्रकाशन से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। मौजावार विवरणी निम्नवत है :-

क्र.सं.	मौजा का नाम	अंचल	थाना नं.	रकबा
1	2	3	4	6
1	बनपुरा	बगोदर	113	4.8596
2	बगोदर	बगोदर	107	0.1910
3	घाघरा	बगोदर	106	3.5142
4	सिरिसडीहा	बगोदर	49	2.7820
5	बदखारो	सरिया	91	0.7256
6	खमरा	बगोदर	105	1.5720
7	खुंटा	सरिया	92	2.5130

अतः कार्यपालक अभियंता, RCD, Giridih के अनुरोध के आलोक में झरी मोड़ (NH-2 पर)-बनपुरा-चिचाकि-खुंटा-चौक-चिचाकि रेलवे स्टेशन तक पथ परियोजना हेतु रैयती भूमि का भू-अर्जन के लिए भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19(7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा-19(1) के अंतर्गत उपरोक्त मौजा का धारा-19 के तहत अधिघोषणा हेतु एक वर्ष की अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

10/07/2020
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
गिरिडीह।


10/07/2020
अपर समाहर्ता,
गिरिडीह।

10/07/2020
उपायुक्त,
गिरिडीह।

ज्ञापांक.....0630/भू030, दिनांक 10/07/2020
प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सूचना विज्ञान पदाधिकारी N.I.C. गिरिडीह को वेबसाईट www.giridih.nic.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


10/7/2020
उपायुक्त,
गिरिडीह।